



परिशिष्ट - अ
प्रश्न सं. [क. 3377]

| क्र | शिक्षा शाखा के निलंबित कर्मचारियों के नाम | पदनाम | निलंबन का कारण | रिमांक |
|-----|---|--------------|---|--|
| 1 | श्री वी.पी. सनोडिया | सहा. ग्रेड-1 | जिला पंचायत सिवनी की शिक्षा स्थापना के लिपिक श्री वी.पी.सनोडिया, सहा.ग्रेड-1 के द्वारा जॉच के समय कथन दिया गया था कि अध्यापकों के नियम विरुद्ध स्थानांतरण संबंधी नस्ती उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी। जबकि कलेक्टर महोदय द्वारा तहसीलदार सिवनी से जॉच कराने पर कुछ नस्तियाँ शाखा में प्राप्त हुई थी। अतः बरिष्ठ अधिकारियों को गुनराह करने के कारण श्री वी.पी.सनोडिया, सहा.ग्रेड-1 को कलेक्टर सिवनी द्वारा निलंबित किया गया था। | |
| 2 | श्री तुषार सुखदेव | सहा. ग्रेड-3 | जिला पंचायत सिवनी की शिक्षा स्थापना के लिपिक श्री तुषार सुखदेव, सहा.ग्रेड-3 के द्वारा जॉच के समय कथन दिया गया था कि अध्यापकों के नियम विरुद्ध किये गये स्थानांतरण के संबंध में शिक्षा शाखा से कोई स्थानांतरण नहीं हुये थे। कलेक्टर महोदय द्वारा तहसीलदार सिवनी से जॉच कराने पर यह पाया गया कि शिक्षा शाखा की कुछ नस्तियाँ शाखा में ही थी। अतः यह प्रमाणित हुआ कि श्री सुखदेव द्वारा गलत एवं असत्य जानकारी दी गई। फलस्वरूप श्री तुषार सुखदेव, सहा.ग्रेड-3 को कलेक्टर सिवनी द्वारा निलंबित किया गया था। | |
| 3 | श्री डी.के. यादव | सहा. ग्रेड-1 | जिला पंचायत सिवनी की शिक्षा स्थापना के लिपिक श्री डी.के.यादव, सहा.ग्रेड-1 द्वारा जॉच के समय कथन दिया गया था कि अध्यापकों के नियम विरुद्ध किये गये स्थानांतरण में शिक्षा शाखा से कोई स्थानांतरण नहीं हुये थे। कलेक्टर महोदय द्वारा तहसीलदार सिवनी से शिक्षा शाखा में जॉच कराने पर कुछ नस्तियाँ शाखा में प्राप्त हुई थी। अतः यह प्रमाणित हुआ कि श्री यादव द्वारा गलत एवं असत्य जानकारी दी गई थी। फलस्वरूप श्री डी.के. यादव, सहा.ग्रेड-1 को कलेक्टर सिवनी द्वारा निलंबित किया गया था। | श्री डी.के.यादव, सहा. ग्रेड-1 की मृत्यु दिनांक 19.10.2020 को हो चुकी है। |


अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सिवनी